

कार्यालय- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 3151 / मी०क्षे० / 33 / मीरजापुर, दिनांक, मार्च, 21

2023

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

जनपद सोनमध में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनमध भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्ल्यू०ई०) के अन्तर्गत भदई आसार से मकरीवारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में सोनमध वन प्रभाग में किमी० ०.००० से ४०.१५० तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित १८.०९ हे० आरक्षित वन भूमि एवं बाधक ९८ वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, गीरजापुर में किमी० ४०.१५० से ४६.०५० तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित ०.४२९३ हे० आरक्षित वन भूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात् कुल १८.५१९३ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ९८ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक
8वीं/यूपीओ/06/292/2022/एफओसीओ/697 दिनांक 23.11.2022
आपका पत्रांक- 1800/11-C-
FP/UP/ROAD/121267/2021 Lucknow Dt. 24-11-2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक-24.11.2022 द्वारा इंगित कर्मियों का निराकरण किये जाने का निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय यन्त्राधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्रांक 1443/सोनभद्र/33 दिनांक 14.03.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा कर्मियों का निराकरण कर निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित किया है:-

क्र.सं.	बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	Approval of the standing committee of National Board for the wildlife (NBWL) is required.	उक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र ने अवगत कराया है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 1805/11-सी-FP/UP/ROAD/121267/2022 लखनऊ दिनांक 24.11.2022 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र० लखनऊ को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त सूचना उन्हीं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।
2	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted. An undertaking needs to be submitted by User Agency that no muck shall be disposed off in Forest Land.	प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित परियोजना में मक डिस्पोजल नहीं किया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 203-204 पर प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र ने अवगत कराया है कि रोड साइड पटरी वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्राक्कलन संलग्न है।
4	The patches proposed for CA need to be compact (at least 5ha.) and should be contiguous to forest land.	प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र ने अवगत कराया है कि राजस्व भूमि के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध करा दी गयी गैर वन भूमि वन विभाग से सटा हुआ है। पूर्व में राजस्व विभाग द्वारा बड़े पैच उपलब्ध कराये गये थे जो कि पधरीली होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं था। सोनभद्र का अधिकतम भाग वन भूमि एवं पधरीली होने के कारण वन विभाग से सटा एवं 5 हे० से अधिक उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण उपलब्ध अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी है। प्रस्तावित गाटे वन भूमि के समीप होने के कारण इनके प्रवन्धन में कोई कठिनाई नहीं होगी।
5	As per the GIS DSS demarcation of the area proposed for diversion is undervalued. Some parts of the forest block in km. file has been demarkated as Non Forest Land. This Needs rectification.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र ने अवगत कराया है कि प्रभावित वन भूमि का राजस्व विभाग, वन विभाग तथा प्रयोक्ता अभिकरण के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन कराया गया जिसमें पाया गया कि पूर्व में प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वन भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, संलग्नक-2)

6 As per the proposal CA land has been proposed in Non Forest land. But according the GIS DSS out of six patches four patches (Khasra no. 718Ga, 719Ka, 768Ga, 541Ka) of the proposed CA land polygon partially fall under the forest block. This needs rectification.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित गैर वन भूमि का राजस्व विभाग, वन विभाग तथा प्रयोक्ता अभिकरण के सा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन कराया गया है जिसमें पाया गया कि क्षतिपूर्त वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि वास्तव में गैर वन भूमि ही है। प्रस्तावित गाटों को 1:5000 स्केल पर बने वनसीमा कि डिजिटल बाउण्ड्री पर डालने से यह वन सीमा से अतिव्याप्त प्रदर्शित हो रहा है किन्तु इन गाटों का जब राजस्व के खसरा मानचित्र 1:40000 में अतिव्याप्ति करने पर वन सीमा से बाहर प्रदर्शित हो रहा है। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, संलग्नक-3)
7 Geo referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित क्षतिपूर्त गैर वन भूमि का जियो रिफरेंस कास्ट्रल मैप में संलग्न है। (संलग्नक-4)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
 (रमेश चन्द्र झा)
 मुख्य वन संरक्षक
 मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

सख्या- 3151/अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र को उनके कार्यालय पत्रांक 1443/सोनभद्र/33 दिनांक 14.03.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c.

(रमेश चन्द्र झा)
 मुख्य वन संरक्षक
 मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

[Faint blue ink stamp and handwritten notes at the bottom of the page, including a date '14/03/2023' and some illegible text.]

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक- 1443 / सोनभद्र/33, दिनांक, रावर्टसगंज मार्च 14, 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, उ०प्र०,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्ल्यू०आई०) के अन्तर्गत भई आरार से मकरीकारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी० 0.000 से 40.150 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रस्तावित 18.09 हे० आरक्षित वन भूमि एवं बाघक 98 वृक्षों के पतन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में किमी० 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रस्तावित 0.4293 हे० आरक्षित वन भूमि एवं शून्य वृक्षों का पतन अर्थात् कुल 18.5193 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 98 वृक्षों के पतन की अनुमति के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8वीं/यू०पी०/०६/292/2022/एच०सी०/६९७ दिनांक 23.11.2022 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ 1800/11-C-FP/UP/ROAD/121267/2021 Lucknow Dt. 24-11-2022 एवं कार्यालय अधिरासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० का पत्रांक-202/यू०पी०६७१४८- पी०एम०जी०एस०वाई०/2023 दिनांक-04.03.2023।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में इगित कमियों का निम्नानुसार निराकरण कर ~~संलग्न~~ की वार प्रतियों में संलग्न कर अधिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र० सं०	बिन्दु	आख्या
1	Approval of the standing committee of National Board for the wildlife (NBWL) is required.	उक्त के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 1805/11-सी-FP/UP/ROAD/ 121267/2022 लखनऊ दिनांक 24.11.2022 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र० लखनऊ को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त सूचना उन्हीं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।
2	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted. An undertaking needs to be submitted by User Agency that no muck shall be disposed off in Forest Land.	प्रस्तावित परियोजना में मक डिस्पोजल नहीं किया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 203-204 पर प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	रोड साइड पटरी वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रकल्पन संलग्न है। (संलग्नक-1)
4	The patches proposed for CA need to be compact (at least 5ha.) and should be contiguous to forest land.	राजस्व भूमि के अमिलेखों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि वन विभाग से सटा हुआ है। पूर्व में राजस्व विभाग द्वारा बड़े पैच उपलब्ध कराये गये थे जो कि पथरीली होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं था। सोनभद्र का अधिकतम भाग वन भूमि एवं पथरीली होने के कारण वन विभाग से सटा एवं 5 हे० से अधिक उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण उपलब्ध अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी है। प्रस्तावित गाटे वन भूमि के समीप होने के कारण इनके प्रबन्धन में कोई कठिनाई नहीं होगी।
5	As per the GIS DSS demarcation of the area proposed for diversion is undervalued. Some parts of the forest block in km. file has been demarcated as Non Forest Land. This Needs rectification.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि का राजस्व विभाग, वन विभाग तथा प्रयोक्ता अभिकरण के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन कराया गया जिसमें पाया गया कि पूर्व में प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वन भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, संलग्नक-2)
6	As per the proposal CA land has been proposed in Non Forest land. But according to the GIS DSS out of six patches four patches (Khasra no. 718Ga, 719Ka, 768Ga, 541Ka) of the proposed CA land polygon partially fall under the forest block. This needs rectification.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित गैर वन भूमि का राजस्व विभाग, वन विभाग तथा प्रयोक्ता अभिकरण के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन कराया गया है जिसमें पाया गया कि क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि वास्तव में गैर वन भूमि ही है। प्रस्तावित गाटों को 1:50000 स्केल पर बने वनसीमा कि डिजिटल बाउण्ड्री पर डालने से यह वन सीमा से अतिव्यापी प्रदर्शित हो रहा है किन्तु इन गाटों का जब राजस्व के खसरा मानचित्र 1:4000 पर अतिव्यापी करने पर वन सीमा से बाहर प्रदर्शित हो रहा है। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, संलग्नक-3)
7	Geo referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित क्षतिपूर्क गैर वन भूमि का जियो रिफरेंस कैडस्ट्रल मैप में संलग्न है। (संलग्नक-4)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

राजा मिश्रा
डी०आर० ऑ००
15/3/23

3488
33
16-03-2023

भवदीय
(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

संख्या/

अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनमद्र वन प्रभाग, सोनमद्र।